

परियोजना का नाम :- मा० मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी० 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

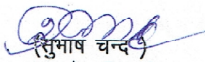
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 13.02.2014 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सुभाष चन्द वन क्षेत्राधिकारी नागथात रेंज कालसी तथा राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रभु सिंह चौहान, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र मैसासा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री बी०डी० भट्ट, सहायक अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

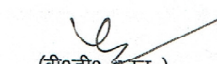
आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.4025 हे०, एवं नाप भूमि 2.3975 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

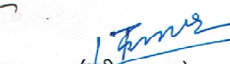
आवेदित वन सिविल भूमि में 9 वृक्षों व नाप भूमि पर 95 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


(सुभाष चन्द)
वन क्षेत्राधिकारी
नागथात रेंज कालसी


(शोभाराम शर्मा)
वन दरोगा
नागथात रेंज कालसी

(लीलाधर भट्ट)
वन बीट अधिकारी
नागथात रेंज कालसी


(बी०डी० भट्ट)
सहायक अभियन्ता
अ०ख०लो०नि०वि० सहिया


(प्रदीप कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० सहिया


(सुन्दर सिंह)
अमीन
अ०ख० लो०नि०वि० सहिया

(लेखपाल)


उप-प्रमानीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून


उप-प्रमानीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- गा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में रामरजौरा मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राग मैसारा तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.4025 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 13.02.2014 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सुभाष शर्मा, राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रभु सिंह, वन विभाग की ओर से श्री बी0डी0 भट्ट द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि - हे0, सिविल एवं सौयम वन भूमि 0.4025 हे0, एव नाप भूमि 2.3975 हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में 9 दूधों व नाप भूमि पर 98 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(सुभाष शर्मा)
वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज चकराता

(शोभाशर्मा शर्मा)
वन दरोगा
रीवर रेंज चकराता

वन प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन विभाग
कालसी

(एल0डी0 भट्ट)
वन बीट अधिकारी
रीवर रेंज चकराता

(बी0डी0 भट्ट)
सहायक अभियन्ता
अ0ख0लो0नि0वि0 सहिया

(प्रदीप कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 सहिया

(स्वराज सिंह)
अमीन
अ0ख0 लो0नि0वि0 सहिया

(लेखपाल)

अभियन्ता
अ0ख0 लो0 नि0 वि0
सहिया

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून